महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति

परिचय

एमएसटीसी लिमिटेड("कंपनी") के निदेशक मंडल ("बोर्ड") की निम्न परिभाषित महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। बोर्ड इस नीति में समय-समय पर समीक्षा और संशोधन कर सकती है।

यह नीति कंपनी में 01 जनवरी 2018 से लागू होगी। यह नीति सेबी(एलओआरडी) विनियम 2015 के विनियम 16 की शर्तो में है।

शीर्षक

इस नीति को 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति' कहा जाएगा।

उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का निर्धारण करना और ऐसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के लिए एक शासन ढांचा प्रदान करना है।

यह नीति सेबी(एलाओआरडी) विनियम 2015 (किसी भी संशोधन सहित) के विनियम 16 की आवश्यकताओं के तहत गठित है।

परिभाषाएं

"लेखा परीक्षा समिति या समिति" का अर्थ सेबी (एलओरआडी) विनियम 2015 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेश मंडल द्वारा समय-समय पर गठित "लेखा समिति" से है।

"निदेशक मंडल" या **"बोर्ड"** का अर्थ है समय-समय पर एमएसटीसी लिमिटेड में गठित निदेशक मंडल से है।

"कंपनी" का अर्थ एमएसटीसी लिमिटेड से है।

"स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ कंपनी का एक निदेशक है, जो पूर्णकालिक निदेशक न हो और जो न प्रमोटर हो और न ही कंपनी के प्रमोटर समूह से संबंधित हो और जो कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओरआडी) विनियम 2015 के तहत स्वतंत्रता के अन्य मानदंडों को पूरा करते हों।

"नीति" का अर्थ है यह नीति, जो समय-समय पर संशोधित की जाती है।

"सहायक कंपनी" का अर्थ अधिनियमों तथा नियमों के तहत परिभाषित सहायक कंपनी से है।

"महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" का अर्थ एक ऐसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी से है, जो भारत में गठित और भारतीय स्टॉक शेयर बाजार में सूचीबद्ध न हो।

"महत्पपूर्ण लेनदेन और व्यवस्था" का अर्थ किसी भी व्यक्तिगत लेददेन या व्यवस्था से होगा, जो कुल राजस्व या कुल खर्च या कुल संपत्ति या कुल देनदारियां के 10% से अधिक होने की संभावना है, जैसा कि मामला हो सकता है, लेखा वर्ष के तत्काल प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी से है।

किसी भी अन्य शब्द, जो यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उसका अर्थ कंपनी अधिनियम 2013, लिस्टिंग अनुबंध, सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 या अन्य लागू कानून या विनियम से परिभाषित होगा।

नीति:

एक सहायक कंपनी महत्पूर्ण सहायक कंपनी के रूप में माना जाएगा, यदि -

- कंपनी की सहायक कंपनी में निवेश का पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा के तुलन पत्र के अनुसार समेकित शुद्ध मूल्य का 20% से अधिक है; या
- सहायक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की समेकित आय का 20% उत्पन्न किया हो।

महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी का अर्थ एक ऐसे सहायक कंपनी से है, जो भारत में गठित और भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है तथा उसका;

- पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा की तुलन पत्र के अनुसार कंपनी की समेकित निबल संपत्ति का 20% से अधिक निबल मूल्य हो; या
- पिछली वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा की तुलन पत्र के अनुसार कंपनी की समेकित आय का 20% से अधिक है।

ऐसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों और महत्वपूर्ण असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की एक सूची की सूचना हेतु प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

कंपनी के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर किए गए निवेश की।

प्रबंधन इस तरह की सहायक कंपनियों की सूची के साथ उनकी परिभाषित महत्वपूर्णता का विवरण प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षा समिति उसकी समीक्षा करेगी और बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश देगी, जिसमें महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश भी शामिल है।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की आवश्यकता के संबंध में

विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना कंपनी, नहीं करेगी:

- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों में शेयरों का निपटान जो 50% से कम करने के लिए अपने शेयर होल्डिंग (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) को कम करता है; या
- सहायक कंपनी पर नियंत्रण के अभ्यास को समाप्त करता है; या
- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आधार पर महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के 20% से अधिक के संपत्ति को बेचने, निपटान या पट्टे पर देना,

इन मामलों में जब तक कोर्ट/ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत विनिवेश/बिक्री/निपटान/पट्टे की व्यवस्था नहीं की जाती है।

महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनियों की आवश्यकता के संबंध में

कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी में एक निदेशक होंगे।

असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड मीटिंग की कार्यसूची कंपनी के बोर्ड के सामने वार्षिक आधार पर रखा जाएगा।

असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं के विवरण के अनुसार प्रबंधन वार्षिक आधार पर कंपनी के निदेशक मंडल का ध्यान आकर्षित करेगा।

संशोधन

बोर्ड लागू कानून के अधीन किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है या लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर नए प्रावधानों के साथ किसी भी प्रावधान को बदल सकता है या नीति को पूरी तरह से बदल सकता है।

बोर्ड इस नीति को प्रभावी बनाने और महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर नियमों और प्रक्रियाओं को भी स्थापित कर सकता है।

क्षेत्र और सीमा

इस नीति के प्रावधानों और लिस्टिंग समझौते/कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य वैधानिक अधिनियमों, नियमों, इस तरह की लिस्टिंग समझौते/कंपनी अधिनियम 2013 या अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, इस नीति के नियम लागू होंगे।

नीति का निष्पादन

नीति को कंपनी की इंट्रा-नेट और वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

प्रकटीकरण

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारिण के लिए नीति का प्रकटीकरण शेयर बाजार और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। नीति को कंपनी की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा।